

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

राजीव रौशन, भा०प्र०से०
सचिव, शिक्षा विभाग।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 21.08.2026

विषय:- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर अतिरिक्त प्रभार के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 277 दिनांक 21.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियमित/वैकल्पिक व्यवस्था होने तक प्रखंड में पदस्थापित पर्यवेक्षकीय स्तर के पदाधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त (वित्तीय अधिकार सहित) प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार देने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत है।

इस क्रम में अंकित करना है कि विभागीय स्तर पर विभिन्न योजनाओं के समीक्षा के दौरान यह दृष्टिगत हो रहा है कि प्रखंड में पदस्थापित पर्यवेक्षकीय स्तर के पदाधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त (वित्तीय अधिकार सहित) प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार देने के कारण कार्यों के निष्पादन में गति आयी है। परन्तु कतिपय प्रखंडों में कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है। इन प्रखंडों में किसी अन्य प्रखंड स्तरीय पर्यवेक्षकीय स्तर के पदाधिकारी को प्रभार दिया जाना श्रेयष्कर प्रतीत हो रहा है।

साथ ही कतिपय जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में पदस्थापित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया जा रहा है। इससे जिला स्तरीय कार्यालय के कार्यों के निष्पादन में कठिनाई हो रही है।

वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पद पर प्रखंड में पदस्थापित पर्यवेक्षकीय स्तर के पदाधिकारियों को दिए गए अतिरिक्त प्रभार (वित्तीय अधिकार सहित) की समीक्षा जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ करते हुए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाय। यह भी अनुरोध करना है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में पदस्थापित कार्यक्रम पदाधिकारी को भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार देने का कार्य किया जाय। साथ ही जिला शिक्षा कार्यालयों में कार्यों की अधिकता को देखते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यों से मुक्त रखा जाय।

अनु०-यथोपरि।

विश्वासभाजन

(राजीव रौशन)

सचिव, शिक्षा विभाग।

6

ज्ञापांक-08/अ०शि०-09-04/2026 -971

पटना, दिनांक 21.08.2026

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक-08/अ०शि०-09-04/2026 -971

पटना, दिनांक 21.08.2026

प्रतिलिपि:- माननीय शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक-08/अ०शि०-09-04/2026 -971

पटना, दिनांक 21.08.2026

प्रतिलिपि:- सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

✓2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेश दिया जाता है कि संबंधित को ई-मेल करना सुनिश्चित करें।

सचिव, शिक्षा विभाग।